

Speed post /त्रिव डाक

Violation letter/उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer-
305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFLOLST/30/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: 22 /10/2024

प्रेषित: खान एजेंट,
3 बी2 चूना पत्थर खान,
मेसर्स जे एस डब्लू सीमेंट लिमिटेड,
पोस्ट भडाना बन्नाका
तहसील एवं जिला (राजस्थान),
पिन: 341026

(e-mail: rajan.killikurussi@jsw.in, abhishek.surana@jsw.in)

विषय: राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित आपकी 3 बी2 चूना पत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

इस कार्यालय के डॉ. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 03.10.2024 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation			
11 (1)	(i) Exploration			
			Proposal	Actual
	Level of Exploration	G1 Area	470.00 Ha.	438.55 Ha.
		G2 Area	0.00	31.45 Ha.
	Grid Interval		200mx200m	200mx200m & 400mx400m
	It shows that exploration has not been carried out as per approved proposal.			
	(ii) Garland Drain			
		Proposed	Actual	
		881m	0 m	
	Garland drain has not been constructed as per approved proposal			

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिजसंरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (ई मेल द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जिला नागौर।
4. रक्षित पत्रवली।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो